



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 573 राँची, मंगलवार,

3 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

9 जुलाई, 2024

विषय:- उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत झारखण्ड राज्य के सामान्य नागरिकों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-18/नियमा०(11)-01/2023-4180—राज्यान्तर्गत उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत/धायल/अपंग सामान्य नागरिकों के आश्रितों/प्रभावित व्यक्ति को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति हेतु विभागीय संकल्प सं०-3002, दिनांक-08.11.2001, 423, दिनांक-16.02.2006 द्वारा अनुग्रह अनुदान तथा विभागीय संकल्प संख्या-2598, दिनांक-09.06.2011 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के निमित्त नीति निरूपित है ।

उक्त संकल्पों में सामान्य नागरिकों को राज्यान्तर्गत वैध पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की स्थिति में / राज्य की सीमा से बाहर उग्रवादी हिंसा में मारे जाने की स्थिति में तथा अपहरण कर मारने के बाद शव को गायब करने की स्थिति में देय लाभ की स्वीकृति संबंधी प्रावधान नहीं रहने एवं "सूचीबद्ध अपराधी" शब्द अंकित रहने के फलस्वरूप आपराधिक घटना में मात्र काण्ड दर्ज रहने के कारण उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तथा अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के बिंदु पर निर्णय लेने में कठिनाई होती है। साथ ही दूसरे राज्य के निवासी, जो झारखण्ड

राज्य में कोई कार्य/निवास करने अथवा इस राज्य से गुजरने के दौरान उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर उनके आश्रित को कोई लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं रहने पर उन्हें इस राज्य का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उक्त संकल्पों में मृतक के आश्रित को अनुमान्य लाभ की स्वीकृति हेतु समय सीमा विहित नहीं रहने के कारण मृत्यु की तिथि के काफी लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात उनके आश्रित को अनुमान्य लाभ की स्वीकृति की कार्रवाई क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इससे ससमय अनुमान्य लाभ नहीं मिल पाती है एवं उक्त संकल्पों में निहित भावना/ उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय में वाद दायर किये जाने के फलस्वरूप समय सीमा का उल्लेख नहीं होने का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्णय लेने का निदेश दिया जाता है। समय सीमा का उल्लेख नहीं होने के कारण विभाग द्वारा इस संबंध में मजबूत पक्ष माननीय न्यायालय में रख पाने में असमर्थ होते हैं।

साथ ही विवाहित सामान्य नागरिक की आश्रिता पत्नी को पति के मृत्योपरांत अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने के बाद पुर्नविवाह कर मृतक के परिवार का परित्याग कर अन्य परिवार का सदस्य बन जाने तथा मृतक के परिवार का भरण-पोषण बंद कर देने की स्थिति में मृतक के परिवार के अन्य सदस्य यथा भाई/अविवाहित बहन/माता/पिता को अनुकम्पा पर सरकारी नौकरी का लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा इस संबंध में नीति निरूपण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्ष 2006 में प्रावधानित अनुग्रह अनुदान की राशि जो 01 लाख 50 हजार / 10 हजार थी, के करीब 17 वर्षों की लम्बी अवधि बीत जाने तथा बढ़ती हुई मंहगाई के परिपेक्ष्य में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा थी।

उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में उक्त संकल्पों के स्थान पर नये सिरे से निम्नवत नीति निर्धारण किया जाता है :-

अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना-

1. उद्देश्य:- राज्य के सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य के कुछ जिले अभी भी उग्रवाद प्रभावित हैं। राज्य सरकार के अथक प्रयास के बावजूद उग्रवादियों द्वारा सामान्य नागरिक की हत्या / जखमी करने की घटना प्रकाश में आती रहती है। परिवार के जीविकोपार्जक सामान्य नागरिक की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। ऐसे पीड़ित परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाया जाना इस योजना का उद्देश्य है।

2. अनुग्रह अनुदान राशि -

(क) उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत घायल/अपंग झारखण्ड राज्य के गैर सरकारी व्यक्ति / सामान्य नागरिक अथवा उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण स्वीकृत किया जायेगा:-

- i. मृत्यु होने पर आश्रित को ₹ 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र भुगतान।

ii. स्थायी रूप से अपंग हुए प्रत्येक व्यक्ति को रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र का भुगतान ।

iii. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का भुगतान ।

(ख) राज्यान्तर्गत वैध पुलिस मुठभेड़ में मृत/घायल/अपंग होने वाले निर्दोष गैर सरकारी व्यक्ति / निर्दोष सामान्य नागरिक अथवा उनके आश्रित को भी उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(ग) राज्य की सीमा से बाहर उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत राज्य के गैर सरकारी व्यक्ति / सामान्य नागरिक के आश्रित को रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जायेगा ।

(घ) राज्यान्तर्गत उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत राज्य के बाहर के गैर सरकारी व्यक्ति/सामान्य नागरिक के आश्रित को रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जायेगा ।

3. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति- उपर्युक्त कंडिका-02 (क), (ख) एवं (ग) के मामले में उग्रवादी/आतंकवादी हिंसात्मक घटना में मृत गैर सरकारी व्यक्ति / सामान्य नागरिक/पुलिस मुठभेड़ में मृत निर्दोष सामान्य नागरिक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्ग/तृतीय (लिपिक) वर्ग/आरक्षी के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जायेगा ।

4. अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य होने के लिए मृतक की आयु एवं परिवार का जीविकोपार्जक (Bread Earner) होने से संबंधित तथ्य-

(क) मृतक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होने पर उन्हें परिवार का जीविकोपार्जक (Bread Earner) माना जायेगा ।

(ख) मृतक यदि 14 से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के हों तो मृतक के अपने परिवार का जीविकोपार्जक / सहायक जीविकोपार्जक होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 14 वर्ष से कम उम्र के सामान्य नागरिक / बच्चे को जीविकोपार्जक / सहायक जीविकोपार्जक नहीं माना जायेगा ।

(ग) यथावश्यक, जीविकोपार्जक होने संबंधी प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत दिया जायेगा ।

(घ) परिवार के जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर ही आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य होगा।

(ड.) 14 वर्ष से कम उम्र के सामान्य नागरिक / बच्चे की मृत्यु होने पर परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगा, परंतु अनुग्रह अनुदान देय होगा ।

5. इस योजना का लाभ किसे प्राप्त हो सकता है ?

उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत गैरसरकारी व्यक्ति अथवा सामान्य नागरिक / वैध पुलिस मुठभेड़ में मृत निर्दोष गैर सरकारी व्यक्ति/निर्दोष सामान्य नागरिक के आश्रित को इस योजना का लाभ देय होगा। घायल / स्थायी रूप से विकलांग होने पर पीड़ित व्यक्ति को अनुग्रह अनुदान देय होगा ।

6. उग्रवादी घटना होने से संबंधित प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन-

यदि घटना के संबंध में दर्ज थाना काण्ड/आरोप पत्र में 17 सी०एल०ए० / यू०ए०पी०ए० एक्ट का समावेश नहीं किया गया है, तो जिला पुलिस कार्यालय द्वारा पुलिस अनुसंधान के आधार पर किसी घटना को उग्रवादी/आतंकवादी घटना होने के संबंध में प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन निर्गत किया जायेगा। पत्र में उग्रवादी/आतंकवादी घटना होने के संबंध में पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा।

7. उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत व्यक्ति की शव नहीं मिलने पर -

उग्रवादी/आतंकवादी द्वारा सामान्य नागरिकों की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जलाने अथवा शव को टुकड़ा टुकड़ा करके जमीन में अनजान स्थल पर गाड़ने/नदी में बहाने/अन्यत्र फेंकने के कारण अन्त्य परीक्षण (Post Mortem) नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त कर हत्या की घटना की जाँच कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपाधिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कराई जाएगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपाधिक्षक के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में हुई है तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित जिला के उपायुक्त गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उपायुक्त द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने/अनुग्रह अनुदान भुगतान करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दावेदार आश्रित/लाभुक से प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि भविष्य में यह पाया गया कि प्रतिवेदित मृतक जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी तथा अनुकम्पा के आधार पर की गयी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

8. अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित -

उग्रवादी/आतंकवादी घटना में मृत सामान्य नागरिक के निम्नलिखित आश्रितों में से प्राथमिकता के आधार पर किसी एक का चयन अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किया जा सकेगा:-

- (i) मृतक की पत्नी/पति
- (i) पुत्र
- (ii) अविवाहित पुत्री
- (iv) पुत्र की विधवा पत्नी
- (v) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो मृत्यु की घटना के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।
- (vi) दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार)

मृतक के अविवाहित होने के मामले में

- (i) आश्रित भाई/अविवाहित बहन
- (ii) माता/पिता

नोट-अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित पत्नी/पति अथवा माता-पिता को ही किया जायेगा। इनके नहीं रहने की स्थिति में अन्य आश्रितों में से किसी एक को भुगतान किया जा सकता है।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा / शैक्षणिक योग्यता-

अनुकम्पा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम / अधिकतम उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रस्तावित सेवा में प्रवेश के लिए नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा।

10. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा / शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता क्षांत करना-

(क) यदि आश्रित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किसी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता हो अथवा नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र का हो गया हो, तो आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा क्षांत किया जा सकेगा एवं इस निमित्त राज्य सरकार का अभिप्राय गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग होगा। परंतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल वर्ग-4 (7th Pay Matrix Leve-1 का पद) के पदों पर नियुक्ति हेतु ही किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता को क्षांत करते हुए नियुक्ति की अनुशंसा जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किस स्थिति में देय नहीं होगी-

(क) यदि मृतक, घायल / विकलांग व्यक्ति उग्रवादी/आतंकवादी हो या कोई संज्ञेय अपराधीकर्मि हो तथा इन्हें इस अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, तो उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) दावेदार आवेदक यदि पागल /दिवालिया घोषित हो या संज्ञेय अपराध के लिए न्यूनतम 06 माह का कारावास काट चुका हो या जिस पर न्यायालय में ऐसा मुकदमा विचाराधीन हो जिसमें मृत्यु दंड या 06 माह या इससे अधिक अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, तो उस आवेदक का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) दावेदार आवेदक यदि पागल घोषित हो, तो उसे अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा। परंतु उक्त उपकंडिका (ख) में उल्लेखित अन्य सभी स्थितियों में अनुग्रह अनुदान देय होगा।

(घ) मृतक/आवेदक के उग्रवादी/आतंकवादी या कोई संज्ञेय अपराधीकर्मि होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में विगत पांच वर्षों में वे जहाँ-जहाँ रहें हों, से संबंधित थाना से प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा अथवा Crime and Criminal Tracking Network & Systems से जाँच कर संबंधित पुलिस अधिक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया जायेगा।

12. किस स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है-

(1) यदि कंडिका-8 में उल्लेखित आश्रित जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उनके द्वारा समयांतराल पर मृतक के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका अनुकम्पा नियुक्ति नियोक्ता प्राधिकार द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा तथा उनके संबंध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा एवं कंडिका 8 में उल्लेखित प्राथमिकता क्रम के

अनुसार मृतक के परिवार के किसी अन्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य होगी। ऐसी स्थिति में मृतक के दूसरे आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन उपायुक्त को समर्पित किया जायेगा। उपायुक्त को आवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया वही होगी जो प्रथम आश्रित के लिए निर्धारित है परंतु इस मामले में प्रथम आश्रित को नौकरी से हटाने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना आवश्यक होगा। 1 (एक) वर्ष के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि मृतक की आश्रित पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर मृतक के परिवार से भिन्न अन्य परिवार का सदस्य हो जाती है या अन्यत्र चली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मृतक की पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी तथा यदि नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा तथा पुनः नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

13. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन किस प्रकार करें ?

संकल्प के अनुलग्नक विहित प्रपत्र-1 में आवेदक अधोलिखित कागजात के साथ दो प्रति में अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय में समर्पित करेंगे।

अपेक्षित कागजात

- (i) मृत / घायल/अपंग सामान्य नागरिक का मृत्यु/चिकित्सा / विकलांगता प्रमाण पत्र।
- (ii) आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल / सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।
- (iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र
- (v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र (केवल अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु)।
- (vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची।
- (vii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड।
- (viii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में शपथ पत्र।

14. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन देने की समय सीमा-

(i) मृतक के आश्रित दावेदार द्वारा घटना की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र संबंधित जिला के उपायुक्त के समक्ष समर्पित करना होगा।

(ii) यदि घटना के समय कांड उग्रवादी/आतंकवादी से संबंधित धाराओं में दर्ज नहीं होता है, परन्तु पुलिस अनुसंधान के क्रम में यदि 05 वर्ष के बाद यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि घटना को

अंजाम देने में किसी प्रतिबंधित उग्रवादी /आतंकवादी संगठन की संलिप्तता है, तो ऐसे स्थिति में जिला पुलिस कार्यालय द्वारा कंडिका-06 के अनुसार एक प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन निर्गत करते हुए अविलम्ब इसकी सूचना उपायुक्त को देगी एवं उपायुक्त द्वारा पीड़ित परिवार से सम्पर्क स्थापित कर उक्त घटना को उग्रवादी घटना मानते हुए अनुमान्य लाभ हेतु अपेक्षित कागजात के साथ विलम्ब होने के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव विभाग को 10 वर्ष के अन्दर भेजना आवश्यक होगा। 10 वर्ष के पश्चात किसी मामलों में विचार नहीं किया जायेगा ।

(iii) आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के अंदर उपायुक्त द्वारा स्पष्ट अनुशंसा, सभी वांछित कागजातों (संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार) के साथ, विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। आश्रित के शैक्षणिक योग्यता/उम्र/शारीरिक योग्यता के आधार पर अनुकम्पा समिति द्वारा तृतीय/चतुर्थ वर्ग अथवा आरक्षी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी। एक बार नियुक्ति की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान किये जाने के उपरांत पुनः किसी अन्य पद अथवा अन्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

15. अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया-

(क) योग्य आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उनके गृह जिला के उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा (घटना की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर) में आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों के साथ) जमा किया जायेगा ।

(ख) आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा मामले की जाँच संबंधित कार्यालय / पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जायेगा। यह भी जाँच किया जायेगा कि आवेदक आर्थिक रूप से मृतक पर आश्रित था अथवा नहीं ।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर करा लिया जायेगा ।

(ग) जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित जिला अनुकम्पा समिति में मामले को विचारार्थ रखा जायेगा। जिला अनुकम्पा समिति सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़ शेष कार्यालयों में वर्ग-3 अथवा वर्ग 4 के पदों अथवा आरक्षी के रिक्त पद पर नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगी ।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 2 माह के अन्दर कर लिया जायेगा ।

(घ) अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदन पत्र विहित समय-सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया है, प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ आवेदक द्वारा पूर्ण किये जा रहे हैं तथा आवेदक इस योजना के तहत अनुकम्पा नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान हेतु पात्र हैं। संतुष्ट होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान भुगतान/अनुकम्पा नियुक्ति (रिक्त पद के विरुद्ध) हेतु जिला अनुकम्पा समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा किया जायेगा ।

(ङ.) जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरांत सभी आवश्यक दस्तावेजों / प्रतिवेदनों के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर कर लिया जायेगा ।

(च) जिला अनुकम्पा समिति के अनुशंसा के आधार पर उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव / दस्तावेज / प्रतिवेदनों की छानबीन कर अनुकम्पा नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान हेतु पात्र होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के अनुमोदन से अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी जायेगी ।

उपायुक्त से त्रुटिरहि प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में यह कार्य, प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 2 माह के अंदर कर लिया जायेगा ।

(छ) स्वीकृत अनुग्रह अनुदान की राशि का अवंटन संबंधित उपायुक्त को की जायेगी। उपायुक्त द्वारा संबंधित व्यक्ति / आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायेगा ।

(ज) अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति के पश्चात उपायुक्त द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ।

(झ) नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आवेदक के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कर लिया जायेगा ।

(ञ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, किंतु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा, उसी कोटि के पद के विरुद्ध नियुक्त माने जाएँगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित माने जायेंगे। इस संदर्भ में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के नियमों का पालन किया जायेगा ।

(ट) उक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान बजट मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष 200- अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष 05- दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विस्तृत शीर्ष 06- अनुदान, 49- आर्थिक सहायता मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

16. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार-

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद के भर्ती नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार इस अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे ।

17. किन बातों का विशेष खयाल रखा जाना आवश्यक है?

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर नियुक्त व्यक्ति को सेवा में योगदान कर लेना होगा। सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना, योगदान की अवधि विस्तारित नहीं की जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहीं करने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अविवाहित विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता / दत्तक पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू विवाह के लिए इस शर्त के साथ स्वतंत्र होंगी कि मृत सामान्य नागरिक के आश्रितों का भरण-पोषण भविष्य में सफलता पूर्वक वहन करेंगी ।

(iii) नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात् संवर्ग/पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी ।

(iv) मृत सामान्य नागरिक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं करने की स्थिति में नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे पदमुक्त किया जा सकेगा ।

(v) प्रत्येक स्थापना प्रभारी उनके अधीनस्थ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक 05 वर्ष पर विहित प्रपत्र-3 में उनपर आश्रित सदस्यों के संबंध में सरकारी सेवक की घोषणा प्राप्त किया करेंगे ।

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान के संदर्भ में उपर्युक्त विहित प्रावधान में संशोधन अथवा इसके किसी बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण की शक्ति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची में सन्निहित होगी ।

18. प्रस्ताव में उल्लेखित कुछ शब्दों / स्थितियों का स्पष्टीकरण-

(क) प्रस्तावित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु राज्य का निवासी किसे माना जायेगा- राजस् सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को राज्य का निवासी माना जाएगा ।

(ख) अनुग्रह अनुदान हेतु गंभीर रूप से घायल किसे माना जायेगा ऐसे व्यक्ति जिन्हे गहरी चोट लगी हो अथवा शरीर में गहरा जख्म हुआ हो तथा इस जख्म / चोट के कारण किसी अस्पताल में कम से कम 1 दिन के लिए भर्ती रहे हों, को गंभीर रूप से घायल माना जायेगा ।

(ग) निर्दोष गैर सरकारी व्यक्ति/निर्दोष सामान्य नागरिक- उग्रवादियों/आतंकियों / असामाजिक तत्वों के साथ वैद्य पुलिस मुठभेड़ के क्रम में एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि दोनों तरफ से हो रहे गोलीबाड़ी/हमले में निरपराध सामान्य नागरिक के गलती से मुठभेड़ के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो जाये अथवा घायल हो जाएं। इन्हें ही निर्दोष गैर सरकारी व्यक्ति / निर्दोष सामान्य नागरिक कहा गया है ।

19. उग्रवादी हिंसा से संबंधित उपायुक्त से विभाग को संकल्प जारी होने की तिथि तक प्राप्त पूर्व के निम्न प्रकार के मामले में अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति के क्रम में आवेदन करने / प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब को संज्ञान में नहीं लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा-

i. उग्रवादी हिंसा में मृत्यु के समय आश्रित नाबालिग था, फलतः बालिग होने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विलंब से आवेदन किया गया हो ।

ii. उग्रवादी घटना की पुष्टि घटना की तिथि से काफी विलंब से होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन विलम्ब से दिया गया हो ।

iii. अनुकम्पा नियुक्ति/अनुग्रह अनुदान भुगतान की पूर्व की योजना की जानकारी ससमय आश्रित को नहीं होने के कारण बाद में घटना की तिथि से अत्यंत विलंब से जानकारी होने पर आवेदन किया गया हो ।

परंतु कंडिका 20 का यह प्रावधान संकल्प जारी होने की तिथि के पश्चात विभाग को प्राप्त होने वाले इस प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होगा ।

20. प्रभावी तिथि-

संकल्पा की कंडिका-02 एवं 03 के प्रावधान संकल्प के निर्गत होने की तिथि अथवा इसके बाद के घटित घटनाओं हेतु प्रभावी होगा। संकल्प के शेष प्रावधान उपायुक्त को प्राप्त होने वाले सभी नये आवेदनों, (चाहे उग्रवादी / आतंकवादी घटना इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व ही घटित क्यों ना हुई हो) में लागू माना जायेगा। उपायुक्त द्वारा नया कोई भी प्रस्ताव (चाहे उग्रवादी/आतंकवादी घटना इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व ही घटित क्यों ना हुई हो) इस संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप सभी वांछित कागजात के साथ विभाग को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि अथवा उसके बाद घटित घटनाओं के लिए इस निमित्त पूर्व में निर्गत सभी संकल्प विलोपित समझे जायेंगे ।

21. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 3877, दिनांक 25.06.2024 के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 28.06.2024 को संपन्न बैठक में मद संख्या 33 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है ।

वंदना दादल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

विहित प्रपत्र-1

उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा / वैध पुलिस मुठभेड़ में मृत/ घायल/अपंग सामान्य नागरिक अथवा उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

(क) 1. मृत/घायल/अपंग सामान्य नागरिक का नाम.....

.....

2. मृतक का पता.....

.....

3. मृत्यु की तिथि.....

.....

4. मृतक का आधार संख्या.....

.....

ख. 1. आश्रित दावेदार का नाम.....

.....

2. मृत सामान्य नागरिक से संबंध.....

.....

3. जन्म तिथि-.....

.....

4. आधार संख्या.....

.....

5. शैक्षणिक योग्यता.....

.....

6. अन्य अर्हता (यदि कोई हो तो)...

.....

ग. अपेक्षित निम्न कागजात की छायाप्रति संलग्न है (जो संलग्न है उसे करें)-

(i) मृत / घायल/अपंग सामान्य नागरिक का मृत्युचिकित्सा / विकलांगता प्रमाण पत्र।

(ii) आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल / सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।

(iii) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।

(iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापति शपथ पत्र

(v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र (केवल अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु)।

(vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची।

(xii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड।

(xii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में शपथ पत्र ।

(xiv) जीविकोपार्जक प्रतिवेदन / जीविकोपार्जक प्रमाण-पत्र (मृतक का उम्र 14-18 वर्ष होने की स्थिति में)।

घोषणा-

1. मैं, एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरलिखित सूचनाएँ मेरे जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि कोई उपरलिखित तथ्य भविष्य में सही नहीं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा दिया जायेगा।
2. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल सहजता पूर्वक करूँगा / करूँगी / यदि कभी ऐसा प्रमाणित होगा कि आश्रित परिवार के किसी सदस्य के देखभाल सहजता पूर्वक नहीं करता हूँ तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

तिथि-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....

.....

पता.....

.....

विहित प्रपत्र-2

उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा / वैध पुलिस मुठभेड़ में मृत / घायल / अपंग सामान्य नागरिक के आश्रितों
का अनुग्रह अनुदान / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में जाँच पत्र

एवं अनुशंसा

- (क) 1. मृत/घायल / अपंग_सामान्य नागरिक का नाम.....

 2. घटना के समय मृतक का उम्र.....

 2. मृत्यु की तिथि.....

 3. मृतक का पता.....

 4. क्या मृतक झारखण्ड राज्य का निवासी थे ?-

 5. मृतक का आधार संख्या-.....

 6. घटना की प्रकृति (उग्रवादी / आतंकवादी हिंसा अथवा वैध पुलिस मुठभेड़)

- ख. 1. (क) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित दावेदार का नाम
 (ख) किस पद नियुक्ति की अनुशंसा की गई है-.....

 (ग) मृत व्यक्ति के साथ संबंध.....

 (घ) आधार कार्ड संख्या.....

 (ङ.) जन्म तिथि/घटना के समय उम्र...

 2. (क) अनुग्रह अनुदान हेतु आश्रित का नाम.....

 (ख) मृत व्यक्ति के साथ संबंध...

 (ग) आधार कार्ड संख्या.....

 (घ) जन्म तिथि/घटना के समय उम्र..

3. अपेक्षित निम्न कागजात की छायाप्रति संलग्न है (जो संलग्न है उसे करें)-

- (i) मृत / घायल/अपंग सामान्य नागरिक का मृत्युचिकित्सा/दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- (II) आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल / अन्य बोर्ड / सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (केवल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु)।
- (iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापति शपथ पत्र।
- (v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र (केवल अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु)।
- (vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची।
- (vii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड।
- (viii) प्राथमिकी / फर्दब्यान की प्रति।
- (ix) पुलिस जाँच प्रतिवेदन यथा 1. पर्यवेक्षण टिप्पणी / प्रतिवेदन एवं 2. अंतिम प्रपत्र / प्रतिवेदन ।
- (x) यदि अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंसा आरक्षी के पद की गई हो तो इसके लिए शारीरिक एवं शैक्षणिक अर्हता होने से संबंधित प्रतिवेदन।
- (xi) अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन (Post Mortem Report)। यदि शव बरामद नहीं होने के कारण अन्त्य परीक्षण (Post Mortem) नहीं हो पाया हो तो संकल्प की कंडिका 7 के अनुसार जाँच प्रतिवेदन।
- (xii) प्रस्ताव यदि समय सीमा (05 वर्ष) के पश्चात भेजी जा रही हो तो प्रस्ताव विलम्ब से उपलब्ध कराने का कारण जैसा कि संकल्प की कंडिका-06/14 (i) में उल्लेख किया गया है।
- (xiii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में प्रतिवेदन / शपथ पत्र।
- (xiv) अनुकम्पा समिति की अनुशंसा (यदि आश्रित की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम उम्र सीमा क्षांत करना हो तो अनुकम्पा समिति के कार्यवाही में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए)।
- (xv) मृतक यदि 14 से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के हों तो मृतक अपने परिवार का जीविकोपार्जक / सहायक जीविकोपार्जक होने संबंधी प्रतिवेदन / प्रमाण पत्र, जैसा कि संकल्प के कंडिका-04 में उल्लेखित है।
- (xvi) मृतक एवं आश्रित का अपराधिक इतिहास प्रतिवेदन (विगत पांच वर्षों में जहां-जहां निवास किये हों उससे संबंधित थाना से अथवा Crime and Criminal Tracking Network & Systems से जाँच कर)। यदि इनके विरुद्ध किसी थाना में कोई मामला दर्ज है, तो उसकी अद्यतन स्थिति के साथ प्रतिवेदन।

4. प्रमाणित किया जाता है कि मृतक स्व०..... ..
.....ग्राम/मोहल्ला..... ..

थाना..... ..जिला-..... ..के निवासी थे। इनकी मृत्यु दिनांक.. .. को उग्रवादी/आतंकवादी घटना अथवा पुलिस मुठभेड़ में (मुठभेड़ की चपेट में आने से) हो गई है। उपर्युक्त कागजात के साथ आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान / अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजी जा रही है।

उपायुक्त का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

सेवाकाल के दौरान प्रत्येक 05 वर्ष पर सरकारी सेवक द्वारा की जाने वाली घोषणा।

मैं-..... पदनाम-.....

.....

कार्यालय / विभाग -..... स्थान,
जिला.....

एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे परिवार के निम्नांकित सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है:-

क्र०	नाम	सरकारी सेवकों से संबंध	उम्र / जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर-

सरकारी सेवक का नाम/पदनाम-

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सरकारी सेवक द्वारा अपने परिवार के सभी आश्रित सदस्यों, जिनकी विवरणी निम्नवत है, का भरण-पोषण ठीक प्रकार से किया जा रहा है/ भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।

क्र०	नाम	सरकारी सेवकों से संबंध	उम्र / जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

मुखिया/वार्ड सदस्य / पंचायत सचिव / जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर-

नाम/पदनाम-
